न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:– 65/2024
निर्णय दिनांक:– 19.12.2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कैलाश सैनी पुत्र स्व. छोटूराम, जाति माली, निवासी रतनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू, राज. हाल निवासी जयचंद का बास, तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. उपतहसीलदार निमेड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल दूदू राज.।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सीताराम सैनी अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक:–19.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 137 के खसरा नम्बर 473 रकबा 1.2013 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 74 के आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 14 के आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0. 1644 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खरारा नम्बर 233 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 15कुल रकबा 2.5798 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 76 के खसरा नम्बर 109 रकबा 3.2877 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.1444 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 10. 4827 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रतनपुरा, प.ह. हथेली. भू.अ.नि. क्षे फागी, तहसील

लगातार...............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वादी एक ही सयुंक्त हिन्दू परिवार का वशंज व सदस्य है। उपरोक्त सिजरा खानदान अनुसार वादी स्व. छोटूराम का जायन्दा विधिक वारिस है। उक्त आराजीयात वादी को पारिवारकि समझौते से सहायक कलेक्टर महोदय दूदू द्वारा पारित डिक्री नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 09. 07.1998 से प्राप्त हुई है। वादी के पिता छोटूराम का वादी के दादा बालू से पूर्व ही देहात हो चुका था उस समय वादी अनपढ़ व नाबालिक था इसलिये पिता छोटूराम की जगह दादा बालू का नाम लिखवा दिया जबकि वादी के पिता का सही नाम कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम है। इसलिये वादी उक्त आराजीयात की खातेदारी अधिकारो की घोषणा व दुरूस्ती करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त विवादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार एवं कानिज काश्त है, उक्त आराजी वरवक्त नामांतकरण के समय वादी के अनपढ़ नाबालिक होनें से उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम की जगह कैलाश सैनी पुत्र बालू दर्ज हो गया इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड में कैलाश सैनी पुत्र बालू के स्थान पर कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।4. यह कि कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम एवं कैलाश पुत्र बालू, जाति माली, निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल दूदू, राज० में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम रतनपुरा में नहीं है, बल्कि वादी का मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम सही है इसलिये वादी का नाम कैलाश पुत्र बालू की जगह कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन वादी के पिता का देहांत वादी के दादा से पूर्व हो जाने एवं वादी के अनपढ़ व नाबालिक होने से वादी के. पिता छोटूराम के स्थान पर वादी के दादा बालू का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जबकि वादी का नाम कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम सही है इसलिये वादी उक्त राजस्व रिकार्ड में कैलाश पुत्र बालू की जगह कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 15.07.2024 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में कैलाश पुत्र बालू है जबकि सही नाम कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।7. यह कि वादी का वाद कारण दिनांक 15.07.2024 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

बैंक द्वारा लोन नहीं देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी को लेण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई व निस्तारण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 के अनुसार मृतक बालु जाति माली के वारिसान में पांच पुत्र सुज्या, लाला, रतन, गोपाल व छोटुराम है इनमें से छोटूराम फौत हो चुका है जिसका एक पुत्र कैलाश है। कैलाश के पिता का नाम छोटूराम है तथा छोटूराम के पिता का नाम बालु था कैलाश के पिता का नाम छोटूराम है न कि बालु। बालु तो कैलाश के दादा का नाम है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम रतनपुरा मे स्थित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 137, 74, 14, 76 में वादी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 01 पैरोकार सरकार ने उक्त वाद को डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 137 के खसरा नम्बर 473 रकबा 1.2013 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 74 के आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 14 के आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0. 1644 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खरारा नम्बर 233 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 15कुल रकबा 2.5798 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 76 के खसरा नम्बर 109 रकबा 3.2877

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

0.1517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खरारा नम्बर 233 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 2.5798 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 76 के खसरा नम्बर 109 रकबा 3.2877 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.1444 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रतनपुरा तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कैलाश पुत्र बालू के स्थान पर कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/12/24

(राकेश कुमार ॥
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते

कैलाश लाल बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 65 / 2024
निर्णय दिनांक:– 19.12.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. कैलाश सैनी पुत्र स्व. छोटूराम जाति माली निवासी रतनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल दूदू राज0 हाल निवासी जयचंद का बास, तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. उपतहसीलदार निमेड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल दूदू राज.।

प्रतिवादीगण

–:: वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 65 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 137 के खसरा नम्बर 473 रकबा 1.2013 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 74 के आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 14 के आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0. 1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.5564 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0. 1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1012 हैक्टेयर कुल किता 15कुल रकबा 2. 5798 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 76 के खसरा नम्बर 109 रकबा 3.2877 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0. 0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.1444 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रतनपुरा तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कैलाश पुत्र बालू के स्थान पर कैलाश सैनी पुत्र छोटूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.........X..........मुबलिग..X.......................बाबत..........X................................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X...............फीसदी..................X.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2024 को जारी की गई।

19/12/24
दस्तखत..........................
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा..........................
फागी, जिला–दूदू

मुहर

सत्यमेव जयते

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्पं अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

19/12/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू